



क्रमांक 155 /बै.प्र./स्थायी समिति/2021

बिलासपुर दिनांक : 14/9/2021

॥ कार्यालयीय ज्ञाप ॥

01. कार्यालयीय ज्ञाप क्र.198/बै.प्र./स्थायी समिति/19 दिनांक 23.12.2019 की निरंतरता में, केन्द्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम, 2009 की धारा 29 एवं परिनियम क्रमांक-38 के तहत निर्मित विनियम के प्रावधानानुसार, कुलपति महोदय द्वारा प्रो० पी.के बाजपेयी, आचार्य-शुद्ध एवं अनुप्रयुक्त भौतिकी विभाग, अधिष्ठाता विधि विद्यापीठ को विद्यापरिषद की स्थायी समिति में सदस्य नामांकित किया गया है। विद्यापरिषद की स्थायी समिति में उपरोक्त सदस्य का कार्यकाल विद्यापीठ के अधिष्ठाता के कार्यकाल के साथ समाप्त होगा। उपरोक्त नामांकन के फलस्वरूप प्रो० प्रतिभा जे. मिश्रा, आचार्य अब विद्यापरिषद की स्थायी समिति की सदस्या नहीं होंगी।
02. अधिसूचना क्रमांक 313/बै.प्र./स्थायी समिति/2018 दिनांक 17.12.2018 की निरंतरता में कुलपति/अध्यक्ष विद्यापरिषद द्वारा विद्यापरिषद के सदस्यों में से निम्नांकितों का नामांकन विद्यापरिषद की स्थायी समिति में सदस्य के रूप में किया गया है :-
 1. डॉ० परिजात ठाकुर, सह-आचार्य, शुद्ध एवं अनुप्रयुक्त भौतिकी विभाग
 2. डॉ० एस.एस. ठाकुर, सहायक आचार्य, रसायनशास्त्र विभागउपरोक्त दोनों सदस्यों का कार्यकाल विद्यापरिषद के कार्यकाल के साथ समाप्त होगा।

आदेशानुसार


कुलसचिव (कार्यवाहक)

पृ०क्रमांक 156 /बै.प्र./स्थायी समिति/2021

बिलासपुर दिनांक : 14/9/2021

प्रतिलिपि -

01. सचिव, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, उच्च शिक्षा विभाग, भारत सरकार, शास्त्री भवन, नई दिल्ली को सूचनार्थ।
02. कुलपति के सचिव की ओर कुलपति महोदय के सूचनार्थ प्रेषित।
03. संबंधित सम्माननीय सदस्यों को सूचनार्थ।
04. विद्यापरिषद् की स्थायी समिति के समस्त सदस्यों की ओर सूचनार्थ।
05. विश्वविद्यालय वेब पटल प्रभारी/निदेशक, आई.क्यू.ए.सी. की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।


कुलसचिव (कार्यवाहक)